–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 66/2016

उनवान

दूदा पुत्र जोरा जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी उपतहसील श्रीनगर, नसीराबाद
–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. आपू पत्नी हेम सिंह, जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद
2. मीरा पुत्री हेम सिंह पत्नी हनुमान सिंह जाति रावत निवासी ग्राम बरदा बेरी, जाटिया, अजमेर
3. प्रताप सिंह पुत्र हेम सिंह जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद
4. सूरज सिंह पुत्र हेम सिंह जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद
5. फलवन्ती पुत्री पेम सिंह मुकेश सिंह, जाति रावत निवासी ग्राम कोटाज, पीसांगन
6. नेम सिंह पुत्र मुकना मृतक जरियें वारिसान

6/1. नौरती पत्नी नेम सिंह
6/2. बीरम सिंह पुत्र नेम सिंह
6/3. कूका पुत्र नेम सिंह
6/4. खेता पुत्र नेम सिंह समस्त जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद

7. अमरी पत्नी माना मृतक जरियें वारिसान

7/1. रामपाल पुत्र माना
7/2. रसाल पुत्री माना
7/3. नंगी पुत्री माना, समस्त जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद

8. रामपाल पुत्र माना, जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद
9. गोमी पत्नी गुमाना जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद
10. छीतर सिंह पुत्र गुमाना मृतक जरियें वारिसान

10/1. प्रेम देवी पत्नी छीतर सिंह
10/2. शैतान पुत्र छीतर सिंह
10/3. धनराज पुत्र छीतर सिंह
10/4. बीरी पुत्री छीतर सिंह
10/5. फलवन्ती उर्फ फल्ला पुत्री छीतर सिंह समस्त जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद

11 लाल सिंह पुत्र गुमाना मृतक जरियें वारिसान

11/1. होनी देवी पत्नी लाल सिंह
11/2. विजय सिंह पुत्र लाल सिंह
11/3. सन्नू देवी पुत्री लाल सिंह
11/4. आरती पुत्री लाल सिंह
11/5. बनास्ती पुत्री लाल सिंह
11/6. मन्जू देवी पुत्री लाल सिंह
11/7. निशा देवी पुत्री लाल सिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

11/8. देवू पुत्र लाल सिंह ना.बा. जरियें संरक्षक माता होनी पत्नी लाल सिंह समसत जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद
12. चांदा पुत्री गुमाना पत्नी बाबू जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद
13. मदन पुत्र मांगू जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद
14. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा श्रीनगर, नसीराबाद
15. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 13 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
14 अनुपस्थित, 15 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :— 12.2.25

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 41/51 किता 20 रकबा 6.18 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का 1 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का 1 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 7 से 13 का भी 1 हिस्सा है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है किन्तु अप्रार्थीगण बिना विभाजन के आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 13 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा 50 वर्ष पूर्व प्रार्थी के पिता ने अपनी कर्जदारी चूकाने के लिये अप्रार्थीगण के पूर्वजों को बैचान कर दी थी।प्रार्थी का आराजी मुतनाजा पर कब्जा नही है। प्रार्थीके पिता द्वारा आराजी मुतनाजा का विकय पत्र कराने का आश्वासन दिया था, प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्य छिपाकर आवेदन पत्र पेश किया है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नही होने से भूमि विभाजन किया जाना वांछित नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 14 का जवाब बंद किया गया व प्रकरण विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 14 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :—

ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 41/51 किता 20 रकबा 6.18 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का 1 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का 1 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 7 से 13 का भी 1 हिस्सा है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। आराजी मुतनाजा पर प्रत्येक सहखातेदार का हक व अध्किार निहित है। प्रार्थी के स्सि की आराजी का बैचान अप्रार्थीगण द्वारा नही किया जा सकता हैं। प्रार्थी [illegible] आवेदन पत्र दिनांक 06.07.2016 को पेश किया है। इतने वर्षो तक आराजी मुतनाजा का स्थिति [illegible] नही हुआ है। प्रकरण में विशेष परिस्थितियॉ सिद्व नही होती [illegible] आराजी मुतनाजा के सह खातेदार है जिन्हे विशेष परिस्थितियों के अभाव में पाबंद किया जाना [illegible] है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थी की सह खातेदारी की है। अप्रार्थी राजस्व अभिलेख में सह खातेदार है। उनके द्वारा प्रार्थी के हिस्से की भूमि का बैचान नही किया जा सकता है।ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्राथी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 41/51 किता 20 रकबा 6.18 की आराजी की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:56 IST
Reason: SelfAttested